CIN U01112CT2004SGC017023 http://agriportal.cg.nic.in/beejnigam

छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड
(छ.ग.शासन का उपक्रम)
"मुख्यालय" बीज भवन रविग्राम तेलीबांधा जी.ई. रोड रायपुर (छ.ग.)
Phone:-0771- 4212201-228, Fax :- 0771- 4046039,4269654
E-mail :cgbkvn_homs@yahoo.co.in,

क्र./मुख्या./**RCO-09**/2021-22/ 12590 रायपुर, दिनांक– 02/03/2022

प्रति,

जिला प्रबंधक, **चतुर्थ प्रसारण**

रायपुर/बलौदाबाजार/दुर्ग/बेमेतरा/बालोद/राजनांदगांव/जगदलपुर/
बिलासपुर/जांजगीर/रायगढ़/अम्बिकापुर/धमतरी/महासमुंद/कवर्धा/
कांकेर/कोरबा/कोरिया/जशपुर/दंतेवाड़ा/मुंगेली/गरियाबंद

विषय :– RCO-09"Hybrid Maize Seed (Notified)"वर्ष 2021-22 की क्रय–विक्रय दरे प्रसारित करने बाबत्।

संदर्भ :– मुख्यालय से काऊंटर ऑफर जारी दिनांक 01.12.2021

विषयान्तर्गत लेख है कि निगम की ऑनलाईन आमंत्रित **RCO-09"Hybrid Maize Seed (Notified)"**वर्ष 2021-22में प्राप्त प्रस्तावो के परीक्षण उपरान्त समिति की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 2021–22के लिए **प्रथम प्रसारण तिथि 02.12.2021** से संलग्न दरे आगामी एक वर्ष **दिनांक 01.12.2022** की अवधि तक लागू रहेगी। निम्नानुसार कंपनी के क्रय–विक्रय दरे संलग्न कर प्रेषित है :–

1. **M/S Sampoorna Seeds** Office Add-D.No. 15/465 Gosha Hospital Road, Adoni-518301 Kurnool (A.P.) Factory Add-D.No. 5-1, Sy. No. 190 Ganekal Village, AdoniContact Person-Mr. Y. Vishnu VardhanMobile No.-9440834460Email Id-sampoorna_seeds@rediffmail.com

आदान सामग्री प्रदाय की शर्तें निम्नानुसार रहेगी :–

1. **दर –(अ)** निविदाकर्ताओं को बेसिक रेट+शासन द्वारा लागू कर की दरें **GST/IGST**देय होगा। **GST/IGST**की राशि जमा करने का दायित्व निविदाकर्ता का होगा। बिल में बेसिक रेट व टैक्स पृथक–पृथक दर्शाया जाना आवश्यक होगा।
   (ब) यदि भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार द्वारा टैक्स की नीति एवं दरों में परिवर्तन किया जाता है तो परिर्वतित दरें ही मान्य होगी।
2. उपरोक्त दरें एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन जो निगम/विभाग के जिला कार्यालयों एवं विकासखण्ड कार्यालय अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य स्थान हो सकते है, तक रहेगी। अन्य कोई भुगतान अलग से नहीं किया जावेगा। प्रदायकर्ता द्वारा देयक में टैक्स फ्री आयटम में टैक्स फ्री के रबर स्टैम्प लगाया जाना आवश्यक होगा।
3. समस्त सामग्री निर्धारित मानक अनुरूप मापदंड एवं गुणवत्ता का प्रदाय करनी होगी। गुणवत्ता निर्धारण हेतु प्राप्त सामग्री के सेम्पल टेस्टिंग हेतु आवश्यकता अनुसार शासन से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को नियमानुसार भिजवाया जावेंगा। टेस्टिंग की राशि प्रदायकर्ता को वहन करनी होगी।
4. प्रदायक द्वारा मांग अनुसार मुख्यालय अथवा जिला कार्यालय से क्रय आदेश जारी होने पर संबंधित प्रदायकर्ता को समायावधि के भीतर निर्दिष्ट स्थान पर सामग्री प्रदाय करना होगा, अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
5. प्रदायकर्ता को "प्राईज फाल क्लाज" का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि प्रदायक किसी शासकीय विभाग/संस्थान/निजी संस्थान में निगम की विक्रय दरों से कम में विक्रय करता है तो वहीं दरें स्वयंमेव निगम में लागू मानी जावेंगी तथा न्यूनतम दरों पर ही भुगतान किया जावेगा। न्यूनतम दर पर विक्रय पाये जाने पर पूर्व में भुगतान की गई राशि की अन्तर राशि समायोजित की जावेंगी।

6. प्रदायक की एम.आर.पी. किसी भी समय निगम की विक्रय दरों से कम नहीं होना चाहिए, अनुबंध की वैधता के दौरान यदि प्रदायक दरें कम करता है तो उसकी सूचना तत्काल "बीज निगम" मुख्यालय को देनी होगी, जिससे दरों में संशोधन किया जा सकें अथवा एम. आर.पी. कम पायी जाती है तो तदनुसार ही क्रय दरों की गणना की जाकर दरें कम की जा सकेगी तथा अन्तर की राशि प्रदायक के लंबित बिलों एवं सिक्यूरिटी राशि से वसूली की जावेगी।
7. प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्री के जारी किये जाने वाले इन्वाईस/बिल तीन प्रति में जारी किये जावेंगें एवं उन पर समस्त विवरण जैसे :– क्रय आदेश क्रमांक व दिनांक, चालान व दिनांक, वस्तु एवं सेवाकर **(GST)**एवं **HSN** नंबर इत्यादि का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
8. प्रदेश के अन्दर के प्रदायकों के वस्तु एवं सेवाकर **(GST)**जमा करने की जवाबदारी प्रदायक की होगी।
9. प्रेषित किये जा रहे दरों में किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रकाश में आती है तो वह संशोधन योग्य होगी।
10. प्रदाय सामग्री के देयक का विभाग से भुगतान प्राप्त **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त के आधार पर किया जावेगा अर्थात् क्रेता विभाग को सामग्री प्रदाय करने के उपरांत इस विभाग को राशि प्राप्त होने तथा प्रदाय सामग्री की संतुष्टि प्राप्ति पश्चात् सामग्री की राशि का भुगतान किया जावेगा। यदि कम राशि प्राप्त होती है तो उसी अनुपात में भुगतान किया जावेंगा।
11. यदि किसी प्रकार के लिपिकीय त्रुटिवश प्रदायक को अधिक भुगतान होने की स्थिति में प्रदायक के अगले भुगतान में समायोजन करने/वापस प्राप्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
12. किसी भी प्रकार के न्यायालयीन/उपभोक्ता फोरम के विवाद का क्षेत्र रायपुर न्यायालय होगा एवं किसी भी प्रकार की क्षति के लिये कम्पनी पूर्णतः जवाबदार होगी।
13. उक्त शर्तो के अतिरिक्त प्रदायकर्ता को निविदा/अनुबंध मे दी गई समस्त शर्तो का भी पालन करना अनिवार्य होगा।
14. निविदा की नियम एवं शर्तो के अनुसार आर.सी.ओ. की दरों में कमी, बढ़ोत्तरी या किसी भी फर्म की दरों को निरस्त करने का सर्वाधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
15. जारी दरें बीज निगम के कार्यालय से व्यवसाय हेतु मान्य होगी ।

कृपया आप उक्त सामग्रियों का अधिक से अधिक व्यवसाय करने हेतु संबंधित विभागों से संपर्क करते हुए सामग्रियों एवं उनकी दरों से संबंधित विभाग को अवगत करावें।

***संलग्न* –PURCHASE & SELLING RATE OF RCO-09"Hybrid Maize Seed (Notified)" वर्ष 2021-22**

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

उपमहाप्रबंधक (आर.सी.ओ.)
मुख्यालय, रायपुर

क्रमशः 03

पृ.क्र. / मुख्या. / बी.कृ.वि.नि. / RCO-09/2021-22/ 1257/ रायपुर, दिनांक 02/03/2022

प्रतिलिपी :–

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास, मछली पालन, जल संसाधन, संसदीय कार्य एवं आयाकट विभाग, छ.ग.शासन, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सहायक, अध्यक्ष / प्रबंध संचालक महोदय, मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक कृषि, छ.ग.शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक उद्यान, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छ.ग. शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं इंद्रावती भवन, नया, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. कुल सचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. उप महाप्रबंधक (आर.सी.ओ. / स्थापना / बीज / वसुली) मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
8. उप संचालक कृषि, जिला .... (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
9. उप संचालक / सहायक संचालक उद्यान, जिला ....(समस्त) की ओर सूचनार्थ।
10. उप संचालक वित्त मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
11. प्रबंधक (लेखा), भुगतान शाखा, अंकेक्षण शाखा, मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
12. उप प्रबंधक (वित्त / लेखा), भुगतान एवं कर शाखा, मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. लेखा अधिकारी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. आर.सी.ओ. कक्ष, मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि निगम के वेबसाईट (**http://agriportal.cg.nic.in/beejnigam**) में डालना सुनिश्चित करें।
15. प्रदायक **M/s**---
की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उपरोक्त शर्तों / अनुबंध की शर्तों एवं निविदा की शर्तों का पालन करना होगा।

उपमहाप्रबंधक (आर.सी.ओ.)
मुख्यालय, रायपुर

C.G. RAJYA BEEJ EVAM KRISHI VIKAS NIGAM LTD.
BEEJ BHAWAN, RAVIGRAM, TELIBANDHA, RAIPUR (Chhattisgarh)

Purchase & Selling Rates Of RCO-09 Hybrid Maize Seed (Notified) For Year 2021-22

M/s. SAMPOORNA SEEDS Office Add-D.No. 15/465 Gosha Hospital Road, Adoni- 518301 Kurnool (A.P.)
Factory Add-D.No. 5-1, Sy. No. 190 Ganekal Village, Adoni Contact Person-Mr. Y. Vishnu Vardhan Mobile No.-9440834460 Email Id-sampoorna_seeds@rediffmail.com

GST No. 37AAHFS8810K1ZR (Sampoorna Seeds)

S.No.	Name Of Variety	Unit	Basic Rate	GST	Purchase Rate	Nigam Margin 10%	GST On Margin	Selling Rate
1	DMRH1301	Per Kg	181.50	TAX FREE	181.50	18.15	TAX FREE	199.65
2	DMRH1308	Per Kg	181.50	TAX FREE	181.50	18.15	TAX FREE	199.65

(आर.के.श्रीवास्तव)
उप प्रबंधक (लेखा)
मुख्यालय, रायपुर

(एल.डी.बुंदेला)
उप महाप्रबंधक
मुख्यालय, रायपुर

(अश्वनी बजारी)
उप महाप्रबंधक (स्थापना)
मुख्यालय, रायपुर

(यशवंत केसम)
उप महाप्रबंधक (आर.सी.ओ.)
मुख्यालय, रायपुर

तकनीकी समिति के अनुशंसानुरूप तैयार किया गया है।

(ईशाक सोना)
सहायक ग्रेड–3
मुख्यालय, रायपुर,

(के.एन. पाणिग्राही)
उप प्रबंधक
मुख्यालय, रायपुर